प्रेस विज्ञप्ति

07/08/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद और जूनागढ़ में विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आनुषंगिक तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दायरे में आने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों में विप्लव जोशी की स्वामित्व वाली मेसर्स देव एंटरप्राइजेज, मेसर्स दिव्यम इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक चोथानी एम गोबरभाई, मेसर्स तन्वी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक सुरेंद्र अभय चपलोत, मेसर्स कैपिटल किंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक चिराग पटेल शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान कई बैंक खातों में जमा 8.50 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज कर दिए गए और 12.5 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

ईडी ने उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि कुछ चीनी नागरिकों ने एक बड़ी साजिश के तहत और भारतीय जनता को धोखा देने के एकमात्र उद्देश्य से सीए/सीएस और अन्य भारतीय पेशेवरों की मदद से भारत में कई फर्जी कंपनियां स्थापित की। गूगल प्ले स्टोर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पावर बैंक ऐप, टेस्ला पावर बैंक ऐप, ईजप्लान आदि जैसे कई सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन (ऐप) डाले गए, ताकि भारत में भोले-भाले लोगों को भारी रिटर्न का झूठा आश्वासन देकर योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया जा सके।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में तलाशी भी ली थी और यह पता चला था कि इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं ने फर्जी आयात और लॉजिस्टिक सेवाओं के जरिए विदेशों में भारी धनराशि की हेराफेरी की है। तलाशी के दौरान 10.34 करोड़ रुपये की मुद्रा और कीमती सामान जब्त किए गए और 14.81 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।

इस मामले में 06.02.2022 और 12.10.2023 को क्रमशः दो अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनमें 64.36 करोड़ रुपये की संपत्ति और बैंक खाते कुर्क किए गए हैं। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और 25.04.2023 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई और यह माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है।

आगे की जांच जारी है।